



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266397
CG-DL-E-25092025-266397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947

No. 260]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025
मामला संख्या एडी(एसएसआर) -11/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

- फा. सं. 7/18/2025 – डीजीटीआर.— एसआरएफ लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रूप में कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां

से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेट आर-32 (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' के रूप में कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही वापस न ले लिया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 28 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 23 सितंबर 2021 की अंतिम जांच परिणाम संख्या फा. सं. 06/33/2020-डीजीटीआर के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 दिसंबर 2021 की अधिसूचना सं. 75/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित उत्पाद के समान है, जो इस प्रकार है:

“7. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेट आर-32 या डाइफ्लोरोमीथेन" है।

8. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेट आर-32 या डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र CH_2F_2 है और यह सीएएस संख्या 75-10-5 के रूप में पंजीकृत है। इसे एचएफसी-32, एफसी-32, फ्रीऑन-32, मेथिलीन डाइफ्लोराइड, मेथिलीन फ्लोराइड, कार्बन फ्लोराइड हाइड्राइड, हेलोकार्बन आर32, फ्लूरोकार्बन आर32 और यूएन 3252 के नाम से भी जाना जाता है। एचएफसी कंपोनेट आर-32 का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में किया जाता है।”

5. वर्तमान आवेदन चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन वही हैं जैसा कि मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

ग. समान वस्तु

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान आवेदन लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु निर्णयक समीक्षा जांच करने के लिए है। प्राधिकारी द्वारा समान वस्तु के मामले की जांच मूल जांच में भी की जा चुकी है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देशों के निर्यातकों अथवा भारत में आयातकों से संबद्ध है।

8. आवेदक के अलावा, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ('जीएफएल') विचाराधीन उत्पाद का अन्य उत्पादक है। आवेदक ने यह दावा किया है कि जीएफएल ने प्रस्तावित जांच की अवधि के बाद भारत में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है।

9. इसे देखते हुए और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखने में आया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ब) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है। आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

च. जांच की अवधि

11. जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) तक की है। धृति जांच की अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और जांच की अवधि है।

छ. कथित पाटन का आधारi. **सामान्य मूल्य**

12. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को उत्पाद की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने संयुक्त अरब अमीरात से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे निवल कारखाना बाह्य स्तर पर समायोजित किया गया है। आवेदक ने भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की भी पूर्ति की है।

14. जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. **निर्यात कीमत**

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात संबंधी आंकड़ों में दर्शाई गई सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और ऋण लागत के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया गया है।

iii. **पाटन मार्जिन**

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम के स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायिक समीक्षा जांच है, अतः प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से सूचना और साक्ष्य प्राप्त होने के बाद पाटन की संभावना का भी निर्धारण करेंगे।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

17. आवेदक ने पाटनरोधी उपायों के समाप्त होने की स्थिति में क्षति की संभावना के संबंध में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि इन उपायों के लागू होने के कारण पाटित आयातों में कमी आई है, लेकिन वे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से नीचे बने हुए हैं। आवेदक ने क्षति की संभावना के अपने दावे के समर्थन में अधिशेष क्षमता, तीसरे देश के उपायों और तीसरे देश के कीमत विश्लेषण के संबंध में सूचना भी प्रदान की है।
18. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्रथम दृष्ट्या, संबद्ध देश से पाटन जारी रहने और पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

19. आवेदक के विधिवत प्रमाणित किए गए आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को प्रमाणित करता है तथा नियमावली के नियम 23 (1बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुती

21. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए, जिनकी एक-एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों।
22. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार और भारत में आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध माने जाते हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (dgtr-india@gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक-एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियमों के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करने के संबंध में सूचना प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या निर्यातिक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाठनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

29. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

30. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ अथवा अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया गया अथवा खाली छोड़ा गया हो (जहां अनुक्रमण करना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

33. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए नियमावली 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

34. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ प्रसारित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त कारण का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप से उसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट हाने और स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

इ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ण. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार समुचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उपयुक्त समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General Of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

CASE No. AD (SSR)- 11/2025

Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of “Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32” originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 7/18/2025 – DGTR.**— Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), SRF Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of the sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of previous investigation.

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of product under consideration from subject countries was initiated on 28th September 2020. Pursuant to detailed investigation, the

Authority recommended imposition of anti-dumping duty vide final findings no. F. No.06/33/2020-DGTR dated 23rd September 2021. The Ministry of Finance vide Notification No. 75/2021-Customs (ADD) dated 21st December 2021 imposed anti-dumping duties for a period of 5 years.

B. Product under consideration (PUC).

4. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

“7. The product under consideration in the present application is "Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane.

8. Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane has the chemical formula CH₂F₂ and is registered as CAS No. 75-10-5. It is also known as HFC-32, FC-32, Freon-32, Methylene difluoride, Methylene fluoride, Carbon fluoride hydride, halocarbon R32, fluorocarbon R32, and UN 3252. The HFC Component R-32 is mainly used in residential air conditioning systems”.

5. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration and PCN remains the same as defined in the original final finding notification.

C. Like article.

6. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by the applicant and the one exported from the subject country. The product produced by the applicant and imported from the subject country is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. The present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the applicant is like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

D. Domestic industry and standing.

7. The application has been filed by the SRF Limited. The applicant has certified that it has not imported the subject goods nor related to the exporters from the subject countries or importers in India.

8. Apart from the applicant, Gujarat Fluorochemicals Limited ('GFL') is the other producer of the product under consideration. The applicant has claimed that GFL has commenced its production of the subject goods in India in the post proposed period of investigation period.

9. In view of the same, and based on information available on record, it is seen that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

E. Subject country.

10. The subject country in the present investigation is China PR.

F. Period of investigation.

11. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st April 2024 – 31st March 2025 (12 months). The injury examination period is April 2021 - March 2022, April 2022 - March 2023, April 2023 – March 2024 and the period of investigation.

G. Basis of alleged dumping.**i. Normal value.**

12. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

13. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. The applicant has claimed normal value based on the export price of the product from a market economy third country to any other country, including India. The applicant has claimed normal value based on the import price from United Aram Emirates adjusted to arrive at net ex-factory level. The applicant has also supplemented normal value based on the price paid or payable in India.

14. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based on best estimates of the cost of production in India duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

ii. Export price

15. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems transaction wise import data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and credit costs.

iii. Dumping margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject country is not only above the de minimis level but is also significant. Since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority shall also determine likelihood of dumping after receipt of information and evidence from the interested parties.

H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link

17. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to likelihood of injury in the event of cessation of measures. The applicant has claimed that the dumped imports have declined because of imposition of measures but have continued to remain below the cost of production of the domestic

industry. The applicant has also provided information on surplus capacities, third country measures and third country price analysis in support of its claim of likelihood of injury.

18. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows continuation of dumping from the subject country and likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

I. Initiation of sunset review investigation.

19. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (IB) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J. Procedure.

20. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation

K. Submission of information.

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to dir15-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
22. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
23. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (dgtr-india@gov.in) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time limit.

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to dir15-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in, within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of information on confidential basis.

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
30. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
33. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. Inspection of public file.

38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

O. Non-cooperation.

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority